



हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम, सोलन
कल्याण भवन, नज़दीक मोहन पार्क, सोलन - 173212
ऋण तथा अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र। (स्वरोजगार/पुनर्वास योजना के अन्तर्गत)

निगम पंजीकरण सं0-----
विकास खण्ड-----
पंचायत-----

सेवा में

जिला प्रबन्धक,
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति विकास निगम,

फोटो

तथा
शाखा प्रबन्धक,
वैक

महोदय,

मैं _____ (स्कीम का नाम) व्यवसाय करना चाहता/चाहती हूँ । जिस पर
कुल _____ रुपये लागत आयेगी । इसके लिए निगम के माध्यम से वैक ऋण तथा नियमानुसार
पूँजी अनुदान/ब्याज अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ मेरा विवरण निम्न है :—

1. नाम :_____
2. पिता/पति का नाम: _____
3. आयु :_____
4. शिक्षा स्तर :_____
5. अनुसूचित जाति / जनजाति (टिक करें) :_____
6. परिवार के मुखिया का नाम :_____
7. परिवार की वर्तमान वार्षिक आय :_____
8. यदि परिवार आई0आर0डी0पी0सूची में चयनित है तो
(क) कम संख्या :_____
(ख) सूची तैयार करने का वर्ष :_____

*फोटो का सत्यापन—प्रधान/उपप्रधान, ग्राम पंचायत, सचिव/कार्यकारी अधिकारी/प्रधान, नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया गया होना चाहिए ।

5. (क) वर्तमान पता:-

गाँव-----डांगो-----तहसील-----
जिला-----हिमाचल प्रदेश-----

(ख) स्थाई पता

गाँव-----
डाकघर-----
तहसील-----
जिला-----हिमाचल प्रदेश-----

10

आवेदक अथवा उसके परिवार के अन्य सदस्य द्वारा इस निगम की किसी योजना अथवा आईआरडीपीओ के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का विवरण ।

- (क) लाभार्थी का नाम-----
(ख) विभाग जहां से सहायता प्राप्त की गयी है-----
(ग) ऋण संस्थान/बैंक का नाम-----
(घ) उद्देश्य-----
(ङ) सहायता प्राप्त करने की तिथि-----
(च) बकाया ऋण-----
(उस क्षेत्र में कार्यरत बैंकों, सरकारी सभाओं इत्यादि का अनादेय (नोडियूज)प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दिये गये सभी विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और निष्ठा के अनुसार सत्य एवं सही है तथा ऋण सम्बन्धी इकरारनामा तथा जमानतनामा ऋण स्वीकृति पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि:—

- (1) मैं ऋण तथा अनुदान की राशि मन्जूर की गई स्कीम (परियोजना) के लिए ही इस्तेमाल करूँगा/करूँगी ।
(2) मैं किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का/की ऋण दोषी नहीं हूँ ।
(3) यदि दी गई कोई भी सूचना झूठी अथवा गलत पाई जाये या ऋण व अनुदान/सबसीडी के किसी भी भाग का उपयोग उचित रूप से उसी स्कीम(परियोजना) पर न किया गया हो जिसके लिए ऋण/अनुदान प्राप्त किया गया है तो मैं प्राप्त समस्त राशि को निर्धारित ब्याज एवं दण्ड ब्याज सहित एक मुश्त लौटाने का वचन देता/देता हूँ
(4) ऋण/अनुदान राशि के उचित उपयोग की जांच हेतु मैं निगम के अधिकारी/कर्मचारी को अपने लेखों एवं सम्पत्ति के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करूँगा/करूँगी ।

11. जमानतदार के हस्ताक्षर-----
दिनांक -----

आवेदक के हस्ताक्षर-----

नाम-----
पूर्ण पता-----
दिनांक-----

12. . प्रमाण पत्र,जो आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने हैं ।

1. अनुसूचित जाति/अनुजनजाति प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र या आईआरडीपीओ प्रमाण पत्र
3. पूँजी अनुदान प्राप्ति प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र पर)
4. बैंक तथा सोसाईटी से अनादेय (नोडियूज) प्रमाण पत्र
5. सीमांत धन ऋण की स्थिति में जमानतनामा व ऋण इकरारनामा ।

खण्ड 'क'(क्षेत्रीय सहायक / सम्बन्धित अन्य कर्मचारी की सिफारिश / टिप्पणी)

मैंने प्रार्थना—पत्र की पूरी तरह जोँच कर ली है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना मेरे निरीक्षण / जानकारी के अनुसार सही है । मैंने इसके समस्त प्रावधान व निगम के नियम प्रार्थी को स्पष्ट बता दिये हैं तथा निम्न राशि की सिफारिश करता हूँ :—

1. स्कीम की लागत का मदवार विवरण

(जैसे मशीनरी / स्थाई उपकरण / ऋण से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति / सामान)

- 1-----
2-----
3-----

2. कार्यगत पूँजी -----मु0-----रु0-----
जिन मदों पर इस्तेमाल होगी उनका व्यौरा:—
(क) -----
(ख) -----
(ग) -----
3. अन्य-----
4. कुल परियोजना लागत-----
5. वित्तीय संसाधन:—बैंक ऋण-----पूँजी अनुदान-----लाभार्थी भागांश-----सीमांत धन ऋण / सीमांत धनडिपॉजिट-

हस्ताक्षर क्षेत्रीय सहायक / सम्बन्धित कर्मचारी
दिनांक:----- नाम-----
जिला-----

खण्ड 'ख'(जिला प्रबन्धक की सिफारिश / टिप्पणी)

उक्त प्रार्थी के पक्ष में निगम द्वारा-----परियोजना हेतु कुल-----रु0 अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा-----बैंक को आवेदन पत्र कुल मु0-----/रुपये की ऋण सहायता (पूँजी अनुदान व बैंक ऋण) प्रदान करने की सिफारिश की जाती है । ऋण तथा अनुदान का प्रयोग खण्ड 'क' के लिखी मदों पर ही किया जायेगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर नियमों के अनुसार ब्याज अनुदान भी देगा ताकि आवेदक को ब्याज-----प्रतिशत प्रति वर्ष दर से अधिक न देना पड़े । ब्याज अनुदान तभी देय होगा यदि आवेदक निगम द्वारा परिभाषित ऋण दोषी न हो ।

बैंक को जमा प्रोत्साहन के रूप में तीन वर्ष के लिए कुल परियोजना लागत की 25 प्रतिशत सीमांत धन जमा राशि मु0-----रुपये मियादी जमा हेतु दी जायेगी । उक्त राशि की मियादी जमा रसीद हि0प्र0अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति विकास निगम के नाम पर बनाई जायेगी ।

जिला प्रबन्धक,
हि0प्र0अनु0जाति एवं अनु0जनजाति,
विकास निगम-----(हि0प्र0)

खण्ड 'ग'

(बैंक शाखा प्रबन्धक की टिप्पणी/स्वीकृति)

श्री / श्रीमती _____ सपुत्र / पुत्री _____ निवासी _____
 —— गाँव _____ डांडा _____ जिला _____ (हिं0प्र0) जिसके _____ पक्ष
 में _____ (योजना) के लिए मु0 _____ / रु0 बैंक ऋण की स्वीकृति दी जाती है इसके
 अतिरिक्त मु0 _____ / -रु0 पूँजी अनुदान जो जिला प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया गया को मिलाकर कुल
 मु0 _____ / -रु0 के वितरण की अनुमति दी जाती है

या

उपरोक्त ऋण आवेदक का ऋण प्रकरण निम्नोक्त कारणों/टिप्पणियों के साथ रद्द/
 वापिस किया जाता है ।

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

तिथि _____

शाखा प्रबन्धक,
 (बैंक शाखा की मोहर)

' ऋण दोषी : वह लाभार्थी जिसने एक छमाही में देय धन राशि(मूलधन एवं ब्याज) का 50 से
 भी कम जमा करवाया है ।